

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/18882/14-15/454 दिनांक:- 01-6-15

जिला शिक्षा अधिकारी(समस्त)
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

विषय:-दिनांक 13.05.15 को राज्य स्तरीय स0मन्वय समिति (SLCC) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालयों एवं समस्त बीईईओ/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा सत्र 2013-14 की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त तथा सत्र 2014-15 की प्रथम किस्त के भुगतान से वंचित विद्यालयों को भुगतान हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने बाबत।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-शिविरा/प्रारं/ आरटीई/बी/18894/सॉफ्टवेयर निर्माण /15-16/154 दिनांक 28.05.15 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में पुनः निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

(1) समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालयों के लिए करणीय कार्यवाही:-

- सत्र 2013-14 की प्रथम व द्वितीय किस्त एवं सत्र 2014-15 की प्रथम किस्त के भुगतान से वंचित ऐसे विद्यालय जिन्होंने सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं की अथवा लॉक नहीं की अथवा संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा आक्षेप लगाये जाने के पश्चात आक्षेप की पूर्ति नहीं की अथवा क्लेम बिल की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित कार्यालयों में प्रेषित नहीं की ऐसे विद्यालयों को राज्य सरकार का अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर दिनांक 31.07.15 तक उक्त कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। समयावधि में कार्य संपादित नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित रहने पर संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा।
- सत्र 2014-15 की द्वितीय किस्त के क्लेम बिल की हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से दिनांक 15 जून 2015 तक संबंधित कार्यालयों को प्रेषित कर दें जिससे सत्र 2014-15 की द्वितीय किस्त का भुगतान भी किया जा सके।


(2) संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा के लिए करणीय कार्यवाही:-

- समस्त बीईईओ/जि.शि.अ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालयों द्वारा यदि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सत्र 2013-14 अथवा 2014-15 में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा अपलोड की गई सत्यापन रिपोर्ट का मिलान नहीं किया है अथवा संबंधित गैर सरकारी विद्यालय से आक्षेप पूर्ति नहीं करवाई है अथवा कार्यालय में क्लेम बिल की रजिस्टर्ड (एडी) डाक द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त होने पश्चात भी भुगतान हेतु ऑनलाईन पासआर्डर जारी नहीं किये हैं अथवा पास आर्डर जारी करने के बाद भी कोषालय द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका है। ऐसे समस्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए राज्य सरकार ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2015 की समय सीमा निर्धारित की है। अतः समयावधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में से ऐसे वंचित विद्यालयों को भुगतान करवाया


जाना सुनिश्चित करें। यदि इसके बाद कोई विद्यालय भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

- राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक दिनांक 13.05.15 में लिए गये निर्णय के अनुसार सत्र 2014-15 की द्वितीय किस्त बजट आवंटन के लिए प्रथम किस्त की भांति ऑनलाईन बजट आवंटन किया जायेगा। जिसका मॉड्यूल आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त बीईईओ कार्यालयों एवं संबंधित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालयों में पालना सुनिश्चित करावें तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ माध्यमिक शिक्षा/उच्च माध्यमिक शिक्षा के गैर सरकारी विद्यालयों में पालना सुनिश्चित करावें तथा अपने कार्यालय स्तर पर भी पालना सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

- प्रतिलिपि:—1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ उप निदेशक माध्यमिक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त निर्देशों की पालना करने हेतु पाबन्द करवाने का श्रम करावें।
- 2 प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को आरटीई वेब पोर्टल के होम पेज पर फ्लेश मैसेज के रूप में प्रदर्शित करावें।
- 3 उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा(समस्त).....को पालनार्थ।


अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर